II - 3 - 1

रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 53] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 26, 1969/चैत्र 5, 1891

No. 53] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 26, 1969/CHAITRA 5, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 26th March 1969

G. S. R. 884.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 2 of the Produce Cess Act, 1966 (15 of 1966), the Central Government hereby appoints the officers specified in column (2) of the Table below to perform within the areas specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, the duties of a Collector under the provisions of the said Act

and the rules made thereunder, in so far as they relate to the levy and collection of the cess referred to in sub-section (2) of section 3 of the said Act, in respect of the produce specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table.

TABLE

S. No.	Officers	Areas	Produce
1	2	3	4
1	Collector of Central Excise, Baroda.	The State of Gujarat excluding the area comprising the Kandla Free Trade Zone as specified in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 101/67-C.E., dated the 26th May, 1967 and the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli.	Oilseeds, Copra and Cotton.
2	Collector of Central Excise, Bombay.	All the districts in the State of Maharashtra other than the districts specified in S. No. 12 and 14.	Oilseeds, Copra and Cotton.
3	Collector of Central Excise, Madras.	The State of Madras.	Oilseeds and Copra.
4	Collector of Customs and Central Excise, Pondicherry.	The Union Territory of Pondicherry, excluding the Mahe commune and the village of Yanam.	Oilseeds and Copra.
5	Collector of Central Excise, Mysore.	The State of Mysore.	Oilseeds and Copra.
6	Collector of Central Excise, Calcutta and Orissa.	The districts of Calcutta, 24 Parganas, Howrah and Midnapur of the State of West Bengal and the State of Orissa.	Oilseeds and Copra.
7	Collector of Central Excise, Allahabad.	The districts of Barcilly, Pithauragarh, Almora, Nainital, Shahjahanpur, Pilibhit, Hardoi, Badaun, Lucknow, Unnao, Sitapur, Lakhimpur-Kheri, Faizabad, Barabanki, Sultanpur, Rae-Barcilly, Allahabad, Pratapgarh, Fatehpur, Jaunpur, Mirzapur, Varanasi Ballia, Gorakhpur, Azamgarh, Deoeria, Ghazipur, Gonda, Basti, Baraich, Rampur, Moradabad, Pauri-Garhwal, Chamoli, Bijnor and Banda of the State of Uttar Pradesh.	Oilseeds and Copra.
8	Collector of Central Excise, Shillong.	The States of Assam and Nagaland and the Union territories of Tripura and Manipur.	Oilseeds and Copra.
9	Collector of Central Excise, Delhi.	The States of Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir and Rajasthan and the Union Territories of Chandigarh, Himachal Pradesh and Delhi.	Oilseeds and Copra.
10	Collector of Central Excise, Hyderabad.	The State of Andhra Pradesh and the Village of Yanam in the Union Territory of Pondicherry.	Oilseeds and Copra.

1	2	3	
11	Collector of Central Excise, Patna.	The State of Bihar.	Oilseeds and Copra.
12	Collector of Central Excise, Nagpur.	The State of Madhya Pradesh and the districts of Chanda, Bhandara, Nagpur, Akola, Buldhana, Yeotmal, Amraoti, Wardha and Rajura of the State of Maharashtra.	Oilseeds and Copra. Cotton in respect of the districts in the State o Maharashtra.
13	Deputy Commissioner, Andaman and Nicobar Islands, Port Blair.	The Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.	Oilseeds and Copra.
14	Collector of Central Excise, Poona.	The districts of Ahmednagar, Jalgaon, Dhulia, Nasik, Poona, Satara, Sholapur, Sangli, Kolhapur, Aurangabad, Parbhani, Nanded, Bhir, Osmanabad, Kolaba, Ratnagiri and Thana (except Thana Taluka) all of the State of Maharashtra.	Oilseeds, Copra and Cotton.
15	Collector of Central Excise, West Bengal.	The State of West Bengal other than the districts of Calcutta, 24-Parganas, Howrah and Midnapur.	Oilseeds and Copra.
16	Collector of Customs and Central Excise, Cochin.	The State of Kerala and the Mahe commune of the Union Territory of Pondicherry.	Oilseeds and Copra.
17	Collector of Central Excise, Kanpur.	The districts of the State of Uttar Pradesh other than the districts specified in S. No. 7.	Oilseeds and Copra.
18	Collector of Customs and Central Excise, Goa.	The territory of Goa of the Union Territory of Goa, Daman and Diu.	Oilseeds and Copra.
19	Administrator, Kandla Free Trade Zone.	The area comprising the Kandla Free Trade Zone.	Oilseeds and Copra.

[No. 11-17/67-C.C.I.]

G.S.R.885.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 2 of the Produce Cess Act, 1966 (15 of 1966), the Central Government hereby appoints the Collectors of Customs, appointed under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) to perform, within their respective jurisdictions specified under that Act the duties of a Collector under the provisions of the Produce Cess Act, 1966 and the rules made thereunder, in so far as they relate to the levy and collection of the cess referred to in sub-section (1) of section 3 of the said Act.

[No. 11-17/67-C.C.I.]

S. J. MAJUMDAR, Addl. Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारी मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1969

जी० एस० आर० 886.—उत्पाद उपकर अधिनियम 1966 (1966 का 15) के अनुभाग 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार नीचे दी गयी सारणी के कालम 2 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को वर्णित सारणी के कालम 3 में तत्स्थानी इन्दराज में

विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कार्य करने के लिये वर्णित सारणी के कालम 4 में तत्स्थानी इन्दराज में विनिर्दिष्ट उत्पाद के सम्बन्ध में जहां तक उक्त अधिनियम के अनुभाग 3 के उपानुभाग 2 में निर्दिष्ट उपकर के लगाने और एकत्र करने का सम्बन्ध है उक्त अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत समाहर्ता के कार्यभार को संभालने के लिए एतद्द्वारा नियुक्त करती है ।

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी	क्षेत्र	उत्पाद
	2	3	4
1	कलेक्टर आफ सेंट्रल ऐक्साइज, बड़ोदा ।	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 101/67–सी० ई० दिनांक 26 मई, 1967 में उल्लेखानुसार कच्छ फ्री ट्रेड जोन को छोड़कर गुजरात राज्य तथा दादरा व नगर हवेली संघ क्षेत्र ।	तिलहन, कोपरा और कपास
2	कलेक्टर आफ सेंट्रल ऐक्साइज, बम्बई ।	क्रम संख्या 12 व 14 में दिये गये जिलों को छोड़कर महाराष्ट्र राज्य में समस्त जिले ।	तिलहन तथा कोपरा और कपास ।
3	कलेक्टर आफ सेंट्रल ऐक्साइज, मद्रास	मद्रास राज्य ।	तिलहन तथा कोपरा ।
4	कलेक्टर आफ कस्टम्स एण्ड सेंट्रल ऐक्साइज, पान्डीचेरी ।	माही कम्यून तथा यनाम ग्राम को छोड़कर पान्डीचेरी संघ क्षेत्र ।	तिलहन तथा कोपरा ।
5	कलेक्टर आफ सेंट्रल ऐक्साइज, मैसूर ।	मैसूर राज्य	तिलहन तथा कोपरा ।
6	कलेक्टर आफ सेंट्रल ऐक्साइज, कलकत्ता तथा उड़ीसा ।	पश्चिम बंगाल राज्य के कलकत्ता, 24 परगना, हावड़ा और मिदनापुर जिले तथा उड़ीसा राज्य ।	तिलहन तथा कोपरा ।

1	2	3	4
7	कलेक्टर, आफ सेंट्रल ऐक्साइज, इलाहाबाद।	उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित जिले, अर्थात्:— पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बदायूं, पीलीभीत, हरदोई, शाहजहांपुर, अनाऊ, सीतापुर, खेड़ी, फैजाबाद, बाराबंकी, सुलतानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, बलिया, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, महाराजगंज, रामपुर मुरादाबाद, पौड़ी-गढ़वाल, चमोली, बिजनौर और बान्दा।	तिलहन तथा कोपरा।
8	कलेक्टर आफ सेंट्रल ऐक्साइज, शिलांग।	असम राज्य तथा मेघालय राज्य तथा त्रिपुरा व मणिपुर संघ क्षेत्र।	तिलहन तथा कोपरा।
9	कलेक्टर आफ सेंट्रल ऐक्साइज, दिल्ली।	पंजाब, हरियाणा, जम्मू तथा काश्मीर व राजस्थान राज्य और चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश व दिल्ली संघ क्षेत्र।	तिलहन तथा कोपरा।
10	कलेक्टर आफ सेंट्रल ऐक्साइज, हैदराबाद।	आन्ध्र प्रदेश राज्य तथा पान्डीचेरी संघ क्षेत्र का यनाम गांव।	तिलहन तथा कोपरा।
11	कलेक्टर आफ सेंट्रल ऐक्साइज, पटना।	बिहार राज्य	तिलहन तथा कोपरा।
12	कलेक्टर आफ सेंट्रल ऐक्साइज, नागपुर	मध्य प्रदेश राज्य, तथा महाराष्ट्र राज्य के चांदा, भण्डारा, जलगांव, अकोला, बुलदाना, यवतमाल वर्धा तथा राजपुरा।	तिलहन तथा कोपरा। कपास।
13	उप आयुक्त, अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह।	अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह संघ क्षेत्र।	तिलहन तथा कोपरा।

1	2	3	4
14	कलेक्टर आफ सेंट्रल ऐक्साइज, पूना ।	महाराष्ट्र राज्य के अहमदाबाद, जलगांव, धूलिया, नासिक, पूना, सितारा, शोलापुर, सांगली, कोल्हापुर, औरंगाबाद, प्रभानी, नन्देव, भिर, असमानाबाद, कोलाबा, रत्नगिरी तथा थाना (थाना तालुक्का को छोड़कर) ।	तिलहन, कोपरा तथा कपास ।
15	कलेक्टर आफ सेंट्रल ऐक्साइज, पश्चिम बंगाल ।	कलकत्ता, 24 परगना हावड़ा तथा मिदनापुर जिलों को छोड़कर पश्चिम बंगाल राज्य ।	तिलहन तथा कोपरा ।
16	कलेक्टर आफ कस्टम्स एण्ड सेंट्रल ऐक्साइज कोचीन ।	केरल राज्य तथा पान्डीचेरी संघक्षेत्र का माही कम्यून ।	तिलहन तथा कोपरा ।
17	कलेक्टर आफ सेंट्रल एक्साइज कानपुर ।	क्रम संख्या 7 में उल्लिखित जिलों को छोड़कर उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य जिलों में ।	तिलहन तथा कोपरा ।
18	कलेक्टर आफ कस्टम्स एण्ड सेंट्रल ऐक्साइज गोवा ।	गोवा दमन व दीव संघ क्षेत्र का गोवा क्षेत्र ।	तिलहन तथा कोपरा ।
19	प्रशासक कान्डला फ्री ट्रेड जोन ।	कान्डला फ्री ट्रेड जोन का क्षेत्र ।	तिलहन तथा कोपरा ।

[सं० 11-17/68-सी०सी०-1.]

जी० एस० आर० 887:—उत्पादन उपकर अधिनियम 1966 (1966 का 15) के अनुभाग 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार कस्टम्स एक्ट 1962 (1962 का 52) के अन्तर्गत नियुक्त सीमा-शुल्क समाहर्तों को जहां तक उनका सम्बन्ध कथित अधिनियम के अनुभाग 3 के उपअनुभाग (1) में किये गये उल्लेख के अनुसार उप कर लगाने व एकत्र करने से है। इस अधिनियम में निर्दिष्ट अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में उत्पादन-उपकर अधिनियम 1966 तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अन्तर्गत समाहर्ता का कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त करती है।

[संख्या 11/17/67—सी०सी० आई]

सु ज्यो० मजुमदार
अवर सचिव

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969